# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2022/87

अपील संख्या - 56/22

1. उम्मेद करण पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी ग्राम भेडोली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. शिवदयाल पुत्र अंगद जाति मीना निवासी ग्राम भेडोली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
3. महेन्द्र पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी ग्राम भेडोली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. श्री श्री स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज पुत्र चेला श्री जय शिवानन्द जी महाराज जाति मीना आश्रम भेडोली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 10/2017 निर्णय व डिकी दिनांक 15.2.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्रीदास सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद कुमार अग्रवाल

दिनांक 28.10.2024

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 15.2.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी द्वारा एक वाद पत्र उदघोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि वादी का ग्राम भेडोली मे एक आश्रम है वादी की खातेदारी के खाता संख्या 285 के ख0न0 1320 खाता संख्या 84 के ख0न0 1321 खाता संख्या 217 के ख0न0 1325 खाता संख्या 312 के ख0न0 1326 खाता संख्या 359 के ख0न0 2330/2825 खाता संख्या 318 के ख0न0 1745 का अंकन सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत इन्द्राज किये [illegible] स्थान पर जिन नम्बरो का होना चाहिए था वहॉ उनका अंकन नही कर स्थान परिवर्तन कर [illegible] गया जो राजस्व रिकार्ड की त्रुटि को दर्शाता है। वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1325 [illegible] 1745 [illegible] 2825 की जगह या बजाय ख0न0 1655/2802 रकबा 1.65 हे0 [illegible] हे0 ख0न0 1648/2804

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रकबा 0.17 है0 ख0न0 1746 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 2.41 है0 का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी की खातेदारी भूमि के ख0न0 1325 रकबा 0.71 है0, 1326 रकबा 0.51 है0, 1320 रकबा 0.19 है0, 1321 रकबा 0.41 है0, 1745 रकबा 0.25 है0, 2330/2825 रकबा 0.34 है0 कुल रकबा 2.41 है0 की बजाय ख0न0 1655/2802 रकबा 0.16 है0 मेसे 0.13 है0 , 1643/2804 रकबा 0.17 है0, 1746 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 2.41 है0 का वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकर कर दुरूस्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावे मे पक्षकार नही होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न कर अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0न0 1324 रकबा 1.69 है0 बारानी 2 सिवायचक ग्राम भेडोली मे स्थित आराजी को अपीलार्थीगण सम्वत 2012 से लगातार काश्त करते चले आ रहे है तथा सरकारी पेनल्टी अदा करते चले आ रहे है। पहले इस आराजी को अपीलार्थी संख्या 1 के पिता व अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के दादा जयनारायण काश्त करते थे। उनकी मृत्यु के बाद आज तक आराजी को अपीलार्थीगण ने फसल मुगफली,गवार काश्त की है जो मौके पर मौजूद है। आराजीयात ख0न0 1324 के चारो तरफ गडडू गाढकर अपीलार्थीगण ने तारबंदी कर रखी है। इस आराजीयात मे अपीलार्थीगण की पुख्ता चाह का निर्माण कर रखा है तथा एक टयूब बेल भी लगा रखा है। जिससे आराजी की सिचाई होती है। सजरा खानदान अनुसार जयनारायण के तीन पुत्र प्रहलाद,अंगद व उम्मेदकरण थे। प्रहलाद का अपीलाट न0 3 महेन्द्र व अंगद का अपीलांट संख्या 2 व उम्मेद करण पुत्र जयनारायण अपीलांट संख्या 1 है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दावा की सुनवाई हेतु कोई नोटिस नही दिया गया समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति मे की गई है। यदि अपीलार्थीगण को नोटिस दिया जाता तो अपीलार्थीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय मे पेश करते। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। आराजी ख0न0 1324 रकबा 1.69 है0 बारानी 2 सिवायचक का पुराना न0 499/1 रकबा 6 बीघा है इस आराजी को सम्वत 2012 से अर्थात पिछले 60 वर्षो से अपीलार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है इसलिए वाई आपरेशन आफ लॉ अपीलार्थीगण आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये है। रेस्पो/वादी की आराजीयात अपीलार्थी की आराजीयात ख0न0 1324 से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिनका चकबंदी के दौरान चंकबंदी कर्मचारियो द्वारा गलत अमल दरामद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात के स्थान अपीलार्थीगण की आराजी ख0न0 1324 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी रेस्पो0 संख्या 1 को प्रदान कर अहम भूल की है। रेस्पो0 राजनीतिक रूप से असरदार व्यक्ति है जिसके आस पास के गांव के लोग भक्त है । रेस्पो0 ने अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अधिनस्थ न्यायालय व राजस्व कर्मचारियो को गलत रूप से प्रभावित कर मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है। आराजीयात ख0न0 1324 पर रेस्पो0 का कभी कब्जा नही रहा है। यदि रेस्पो0 का कब्जा होता तो राजस्व कर्मचारियो द्वारा उसकी खसरा परिवर्तनशील बनाई जाती। इस प्रकार का कोई दस्तावेज या अन्य रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इससे सिद्व है कि रेस्पो0 का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा। रेस्पो0 द्वारा आराजीयात पर कब्जा बताकर दावा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से सिवायचक भूमि की खातेदारी रेस्पो0 के नाम करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अहम भूल की है। चकबंदी कर्मचारियो द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की काश्त ख0न0 1325,1326,1321,1745,2330/2825,1320 का अंकन राजस्व नक्शे मे पूर्व खसरा नम्बरो के अनुसार बिलकुल ठीक किया है तथा राजस्व नक्शे मे उक्त खसरा नम्बर जहॉ रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त है बिलकुल सही बनाये है। आज भी उक्त आराजीयात पर रेस्पो0संख्या 1 का कब्जा व काश्त है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जॉच अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। आराजीयात ख0न0 1324,1645/2805,1655/2802,1648/ 2804,1746 पर रेस्पो0 संख्या 1 का कभी कब्जा नही रहा है ना ही आज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक भूमि की खातेदारी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम की जाकर विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे तनकीयात कायम नही की गई है। बिना तनकीयात कायम किये ही दावे का निर्णय कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की जानकारी अपीलांटान को दिनांक 1.8.22 को होने एवं अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाने की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

जबाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा भूमि आराजी ख0न0 1324 रकबा 1.69 है0 बारानी 2 राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी तहसीलदार को बनाया गया है। अपीलांट भूमि ख0न0 1324 का खातेदार काश्तकार नही है। अपीलाट द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिचार किया हुआ है। किसी भी काश्तकार को अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त कानून मे नही है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है परन्तु उसमे उसके प्रभावित होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट ने स्वयं भूमि ख0न0 1324 को सिवायचक प्रस्तुत अपील मे माना है एवं कब्जा होना बताया है इससे अपील[illegible] ख0न0 1324 पर अतिचारी होना सिद्व है। किसी भी अतिचारी को [illegible] आवश्यक नही है इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी रेस्पो0 संख्या 1 को प्रदान कर अहम भूल की है। रेस्पो0 राजनीतिक रूप से असरदार व्यक्ति है जिसके आस पास के गांव के लोग भक्त है । रेस्पो0 ने अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अधिनस्थ न्यायालय व राजस्व कर्मचारियो को गलत रूप से प्रभावित कर मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है। आराजीयात ख0न0 1324 पर रेस्पो0 का कभी कब्जा नही रहा है। यदि रेस्पो0 का कब्जा होता तो राजस्व कर्मचारियो द्वारा उसकी खसरा परिवर्तनशील बनाई जाती। इस प्रकार का कोई दस्तावेज या अन्य रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इससे सिद्व है कि रेस्पो0 का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा। रेस्पो0 द्वारा आराजीयात पर कब्जा बताकर दावा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से सिवायचक भूमि की खातेदारी रेस्पो0 के नाम करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अहम भूल की है। चकबंदी कर्मचारियो द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की काश्त ख0न0 1325,1326,1321,1745,2330/2825,1320 का अंकन राजस्व नक्शे मे पूर्व खसरा नम्बरो के अनुसार बिलकुल ठीक किया है तथा राजस्व नक्शे मे उक्त खसरा नम्बर जहॉ रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त है बिलकुल सही बनाये है। आज भी उक्त आराजीयात पर रेस्पो0संख्या 1 का कब्जा व काश्त है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की जॉच अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। आराजीयात ख0न0 1324,1645/2805,1655/2802,1648/ 2804,1746 पर रेस्पो0 संख्या 1 का कभी कब्जा नही रहा है ना ही आज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक भूमि की खातेदारी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम की जाकर विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे तनकीयात कायम नही की गई है। बिना तनकीयात कायम किये ही दावे का निर्णय कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटान को दिनांक 1.8.22 को होने एवं अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाने की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

जबाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा भूमि आराजी ख0न0 1324 रकबा 1.69 है0 बारानी 2 राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी तहसीलदार को बनाया गया है। अपीलांट भूमि ख0न0 1324 का खातेदार काश्तकार नही है। अपीलाट द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिचार किया हुआ है। किसी भी काश्तकार को अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त कानून मे नही है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है परन्तु उसमे उसके प्रभावित होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट ने स्वयं भूमि ख0न0 1324 को सिवायचक प्रस्तुत अपील मे माना है एवं कब्जा होना बताया है इससे अपीलांट का [illegible] 1324 पर अतिचारी होना सिद्व है। किसी भी अतिचारी को दावे [illegible] आवश्यक नही है इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कारण अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी ख0न0 1325 रकबा 0.71 है0, ख0न0 1326 रकबा 0.51 है0 ख0न0 1321 रकबा 0.41 है0,ख0न0 1745 रकबा 0.19 है0 तथा 2330/2825 रकबा 0.34 है0 गैर मुमकिन रास्ता, ख0न0 1320 रकबा 0.25 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.41 है0 वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा नही होना वादी/रेस्पो0 द्वारा स्वयं स्वीकार किया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजीयात को गलत रूप से वादी की खातेदारी मे दर्ज की गई है जिसे सिवायचक घोषित किये जाने की प्रार्थना वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र मे की गई है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के कब्जे की भूमि को सिवायचक दर्ज करना बताया गया है तथा जहाँ कब्जा काश्त नही है उसे खातेदारी दर्शाया गया है। वादी का केवल मात्र वाद भूमि को बदलने हेतु पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे शुदा भूमि को खातेदारी मे दर्ज किया गया है तथा खातेदारी की आराजीयात को सिवायचक दर्ज किया गया है। जिससे भूमि का रकबा कम या ज्यादा नही हुआ है। अपीलांट द्वारा भूमि ख0न0 1324 पर लम्बे अरसे से कब्जा होने के कारण ही उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय मे धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की गई है। अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान कानून मे नही है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे भी भूमि ख0न0 1324 को सिवायचक माना है। अपीलांट द्वारा अपील भी भूमि ख0न0 1324 रकबा 1.69 है0 बारानी 2 खातेदारी इस आधार पर चाही है कि विगत 66 वर्षो से भूमि पर अपीलांट व उनके बुर्जगान का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए वाई ऑपरेशन आफ लॉ अपीलार्थीगण आराजीयात के खातेदार घोषित हो गये है। जबकि कानूनन कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। अपीलांट का सिवायचक भूमि पर कब्जा होना अपीलांट का अतिचारी होना सिद्व करता है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण संख्या 10/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 150.2.22 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner